



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 2002 (माघ 27, 1923)

No. 7]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 2002 (MAGHA 27, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
सरकारी और बैंक लेखा विभाग

मुंबई-400021, दिनांक 25 जनवरी, 2002

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण दिसम्बर 2001 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6
अहमदाबाद सकल					
10 प्रतिशत राहत बॉन्ड 1995					
एडी-000430	1,00,000/-	श्री नरेन्द्र छोटालाल देसाई (मृत) एवं श्रीमती कुन्दनबेन नरेन्द्र देसाई	2-7-99	श्रीमती कुन्दनबेन नरेन्द्र देसाई	एलएनएस/0337 के का पत्र सं. 221 दिनांक 30 अक्टूबर 2001

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 8th January 2002

No. NHB.HFC.REGI.1/CMD/2002.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) the National Housing Bank, hereby specifies the minimum net owned fund to be two hundred lakh of rupees for a housing finance institution which is a company which commences the business of a housing finance institution on or after the date of publication of this notification in the Official Gazette :

Provided that the specification of higher net owned fund shall not be applicable to a company whose application for certificate of registration under section 29A of the said Act is submitted to the National Housing Bank before the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SHEKHAR AGARWAL
Chairman and Managing Director

ar
of
—
N
—
1.

2.
—

re
2:
of
(e
d)